राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम बिहार

त्रालय

भाग

.in

c.in

र गारंटी अधिनियम, 2005 - दिशा निर्देश

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अन्तर्गत

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम बिहार

दिशा–निर्देश

सत्यमेव जयते

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

सितम्बर 2006

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम-2005 के अन्तर्गत बिहार ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तथा उसके अनुरूप राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

"प्रस्तावना"

7 सितम्बर 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम, 2005 भारत का राजपत्र में प्रकाशित किया गया । इस अधिनियम के अन्तर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार के इच्छुक व्यस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्मिलित रूप से 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित कराना है । इस अधिनियम के तहत बिहार राज्य के लिए बिहार ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-2005 तैयार किया गया है ।

प्रथम चरण में देश के अति पिछड़े 200 जिलों का चयन किया गया है, जिसमें बिहार राज्य के 23 जिला चयनित है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रहनेवाले सभी इच्छुक परिवारों के वयस्क सदस्यों को सम्मिलित रूप से कम-से-कम 100 दिनों का रोजगार निश्चित रूप से उपलब्ध कराकर, उत्पादक परिसम्पतियाँ सृजित कर, श्रमिकों के पलायन को रोकना एवं बेरोजगारी दूर करना है ।

ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज कार्यक्रम का विलय कर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना का कार्यान्वयन कराये जाने का निर्णय लिया गया है ।

सितम्बर 2006 में अनुमोदित इस संशोधित मार्गदर्शिका में कुछ प्रावधानों को संशोधित किए गए है ।

विषय-सूची

क्रम संख्या — पृष्ठ सं.

1. प्रस्तावना .....
2. योजना का उद्देश्य.....
3. प्रशासनिक व्यवस्था .....
4. ग्राम पंचायत का दायित्व .....
5. पंचायत समिति का दायित्व.....
6. जिला परिषद का दायित्व .....
7. कार्यक्रम पदाधिकारी का दायित्व.....
8. जिला कार्यक्रम समन्वयक का दायित्व .....
9. बिहार राज्य रोजगार गांरटी परिषद .....
10. योजना का कार्यान्वयन.....
11. कार्यो की मापी .....
12. कार्यस्थल पर मजदूरों के लिये सुविधा.....
13. निधि की व्यवस्था.....
14. अनियोजन भत्ता का दर.....
15. अंकेक्षण.....
16. दिशा-निर्देशों के संशोधन के संबंध में.....
17. विविध .....
18. परिशिष्ट एवं प्रपत्रों की विवरणी

    (i) परिशिष्ट - क, ख, ग, घ एवं ड. .....

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम बिहार

(1) <u>योजना का उद्देश्य –</u>

1.1 राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की निश्चितता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रत्येक इच्छुक अकुशल मजदूर परिवार के वयस्क सदस्यों को सम्मिलित रूप से एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 (एक सौ) दिनों तक रोजगार मुहैया सुनिश्चित कराना ।

1.2 प्रथम चरण में यह योजना राज्य के 23 जिले यथा- अररिया, पूर्णियाँ, कटिहार, किशनगंज, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, पटना, भोजपुर, नालन्दा, रोहतास, कैमूर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, मुंगेर, जमुई, एवं लखीसराय जिला में लागू की जायेगी। अप्रैल 2007 से शेष जिलों को भी इस योजना में सम्मलित किया गया।

(2) <u>प्रशासनिक व्यवस्था–</u>

2.1(i) 2.1. (i) **(क) पंचायत राज व्यवस्था में कार्यान्वयन के मूल सिद्धांत :**

परस्पर सहभागिता और सार्वजनिक उत्तरदायित्व :

इस अधिनियम में केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, पंचायतों और स्थानीय समुदाय के बीच पारस्परिक सहभागिता की कल्पना की गई है । इस कानून के तहत क्रियान्वयन संबंधी मुख्य गतिविधियां गांव और प्रखण्ड के स्तर पर केंद्रित रहेंगी तथा योजना के समन्वयन से संबंधित गतिविधियां प्रखण्ड और जिला स्तर पर संपन्न होंगी । योजना के नियोजन, देख- रेख और निगरानी का काम सभी स्तरों (गांव, प्रखण्ड, जिला और राज्य) पर समानांतर रूप से चलेगा। प्रत्येक स्तर के संबंधित अधिकारी/ निकाय जन समुदाय के प्रति उत्तरदायी होंगे ।

2.1.(i)**(ख) सामुदायिक सहभागिता:**

समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने का दायित्व संस्थागत स्तर पर वैधानिक रूप से ग्राम सभा को सौंपा गया है । सामुदायिक सहभागिता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अनुश्रवण एवं निगरानी समितियों, श्रमिक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों का भी गठन किया जा सकता है ।

2.1. (i)**(ग) पंचायतों की भूमिका:**

प्रत्येक स्तर पर मौजूद पंचायतें 'अधिनियम के अंतर्गत योजनाओं एवं क्रियान्वयन करने वाला प्राधिकार निकाय' होंगी (अधिनियम की धारा 13(1)।

2.1.(i)**(घ) जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं कार्यक्रम अधिकारी:**

जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम समन्वयक और ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी योजना को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लागू करने के जिम्मेदार होंगे ।

2.1. (i) **(ड.) विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय:**

(ii) विभिन्न स्तरों पर गठित पंचायतों को एक-दूसरे के साथ तालमेल बनाकर काम करना होगा।

2.1.(ii)**(क)**-आयुक्त एवं सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार या सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य पदाधिकारी राज्य स्तरीय कार्यक्रम समन्वयक होंगे ।

2.1.(ii)**(ख)** प्रत्येक जिला के उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, इस योजना अन्तर्गत जिला कार्यक्रम समन्वयक होंगे ।

2.1.(ii)**(ग)** प्रत्येक जिला के जिला पदाधिकारी पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण पदाधिकारी होंगे, जो विभिन्न जिला स्तरीय विभागों से आवश्यक समन्वय भी सुनिश्चित कराएंगे ।

2.2 प्रखण्ड स्तर पर कार्यक्रम पदाधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों की संविदा के आधार पर नियोजन की कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा की जायेगी । इस प्रक्रिया के पूर्ण होने तक प्रत्येक प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रखण्ड स्तर पर कार्यक्रम पदाधिकारी रहेंगे ।

(3) <u>ग्राम पंचायत का दायित्व-</u>

3.1 रोजगार हेतु ग्राम पंचायत में रहने वाले इच्छुक परिवारों का निबन्धन । निबन्धन के संबंध में निदेश परिशिष्ट- "क" पर दृष्टव्य ।

3.2 इच्छुक परिवारों को जॉब कार्ड उपलब्ध कराना । जॉब कार्ड के वितरण एवं अभिलेख के संधारण के संबंध में निदेश परिशिष्ट "ख" पर दृष्टव्य ।

3.3 इच्छुक परिवारों से काम के लिये आवेदन प्राप्त होने पर 15 दिनों के अन्दर काम मुहैय्या कराना ।

3.4 3.4 **ग्राम स्तर :-**

3.4.**(क) ग्राम सभा:-** कार्यों का चयन करने, उन पर निगरानी रखने तथा क्रियान्वयन के बाद समाजिक ऑडिट संचालित करने का कानूनन अधिकार ग्राम सभा को है । ग्राम सभा का योजना के क्रियान्वयन में पूर्ण सहायोग एवं सहभागिता लिया जाये। ग्राम सभा को एक ऐसे मंच के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए जहां योजना के बारे में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सके । उदाहरण के तौर पर, ग्राम सभा के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जा सकती है कि वह इस योजना के अन्तर्गत पंजीकरण के लिए किस तरह आवेदन कर सकते है।पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बनाए रखने में भी ग्राम सभा की एक महत्वपूर्ण भूमिका बनती है । ग्राम सभा पंजीकरण हेतु आए आवेदनों की जांच भी कर सकती है ।

3.4.**(ख) ग्राम पंचायत** :- बी.आर.ई.जी.एस. के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है । कार्यो की योजना तैयार करने, परिवारों का पंजीकरण करने, रोजगार कार्ड जारी करने, रोजगार आवंटित करने, कम से कम 50 प्रतिशत कामों को लागू करने और गांव स्तर पर योजना के क्रियान्वयन पर नजर रखने का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत को ही सौंपा गया है । इन सारे कार्य भारों का प्रभावी ढ़ग से कार्यान्वयन करने में ग्राम पंचायत के कर्मचारियों का दायित्व एवं कार्य बोझ काफी बढ़ेगा । इसलिए एन.आर.ई.जी.ए. से संबंधित दायित्वों का सही प्रकार निर्वाह करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक 'ग्राम रोजगार सेवक' की नियुक्ति की जा सकती है ।

3.5 ग्राम पंचायत का यह दायित्व होगा कि किसी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के कम से कम तीन माह पूर्व उस वित्तीय वर्ष के लिए कार्य योजना तैयार कर पंचायत समिति एवं जिला परिषद से अनुमोदन प्राप्त कर ले ।

3.6 जिला स्तर पर अनुमोदित वार्षिक योजना में से कम से कम 50 प्रतिशत लागत का काम ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा।

3.7 ग्राम पंचायत द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु प्राथमिकता के अनुसार निम्नलिखित कार्य किये जायेगे :-

1. जल संरक्षण एवं जल संचय,
2. सूखे से बचाव के लिए वृक्षारोपण और वन संरक्षण,
3. सिंचाई के लिए सूक्ष्म एवं लधु सिंचाई परियोजनाओं सहित नहरों का निर्माण,
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों या भूमि सुधारों के लाभन्वितों या इंदिरा आवास योजना के लाभान्वितों की जमीन तक सिंचाई की सुविधाएं पहुंचाना,
5. परंपरागत जल स्रोतों के पुनर्नवीकरण हेतु जलाशयों से गाद की निकासी,
6. भूमि विकास,
7. बाढ़ नियंत्रण एवं सुरक्षा परियोजनाए, जिनमें जल भराव से ग्रस्त इलाकों से पानी की निकासी भी शामिल है,
8. गांवों में सड़कों का व्यापक जाल बिछाना ताकि सभी गांवों तक बारहों महीने सहज आवाजाही हो सके । सड़क निर्माण परियोजनाओं में जरूरत के हिसाब से पुलिया भी बनाई जा सकती है और गांव के भीतर सड़को के साथ-साथ नालियां भी बनाई जा सकती है ।
9. राज्य सरकार के साथ परामर्श के आधार पर, केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी अन्य कार्य ।

3.8 3.8 **अनुश्रवण एवं निगरानी समितियों का गठन** :-

1. इस योजना के तहत स्वीकृत प्रत्येक कार्य के लिए एक स्थानीय अनुश्रवण एवं निगरानी समिति का गठन किया जाना चाहिए । इस समिति में उस स्थानीय आबादी या गांव के लोगों को लिया जाएगा जहां संबंधित परियोजना को लागू

किया जा रहा है । यह समिति क्रियान्वयन के दौरान कामों की प्रगति और गुण्वता पर नजर रखेगी। इस समिति के लिए सदस्यों का चयन ग्राम सभा करेगी और सदस्यों का चुनाव करते हुए इस बात का खयाल रखा जाएगा कि उसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों तथा औरतों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिले ।

2. लागू किए जा रहे काम के ब्यौरे, समयावधि तथा गुणवता मानकों के बारे में इस समिति को बताना क्रियान्वयन अभिकर्त्ता का दायित्व होगा । परियोजना परिपूर्णता प्रमाणपत्र के साथ इस समिति की अंतिम रिपोर्ट भी नत्थी की जाएगी और उसे पंचायत की अगली ग्राम सभा बैठक में पेश किया जाएगा। इस रिपोर्ट की एक प्रति कार्यक्रम अधिकारी तथा जिला कार्यक्रम समन्वयक को भेजी जाएगी ।

3. स्थानीय लाभान्वितों के अधिकारों की अभिव्यक्ति तथा सूचनाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय लाभान्वित समितियों का गठन किया जा सकता है । यह सुनिश्चित करना कार्यक्रम अधिकारी का दायित्व होगा कि स्थानीय अनुश्रवण एवं निगरानी समितियों/लाभान्वित समितियों का समय पर गठन किया जाए ।

(4) पंचायत समिति का दायित्व

4.1 **4.1.** प्रखंड स्तर पर योजना की रूपरेखा तैयार करने और क्रियान्वयन के दौरान उस पर नजर रखने का दायित्व पंचायत समिति को सौंपा गया है । ग्राम पंचायत से प्राप्त योजनाओं की सूची को अनुमोदित करते हुये प्रखंड के वार्षिक कार्य योजना में शामिल कराना एवं प्रखंड की वार्षिक कार्य योजना जिला कार्यक्रम समन्वयक को 30 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना । पंचायत समिति को उन 50 प्रतिशत तक के कार्यो में से क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है जिन्हें ग्राम पंचायत के जरिए नहीं किया जा रहा है ।

परन्तु पंचायत समिति को ग्राम सभा द्वारा योजनाओं की निर्धारित प्राथमिकता को बदलने का अधिकार नहीं होगा ।

4.3 **4.3(i)** पंचायत समिति द्वारा उपर कंडिका 3.7 में उल्लिखित कार्य किये जायेंगे जो:- अन्तर पंचायत को जोड़ने वाली योजनाएँ है। अर्थात् एक पंचायत से दूसरे पंचायत को जोड़ने वाली पईन, जमींदारी तटबंध, नहर एवं 500 से कम आबादी वाले सड़क आदि को लेने हेतु प्राथमिकता दी जा सकती है ।

4.3(ii) लाईन विभाग को भी उनकी वैसी योजनाएँ जो उपर कंडिका 3.7 के अनुरूप हो, उन्हें निहित प्रक्रिया अपनाते हुए अनुमोदन प्राप्त कर उस विभाग को कार्यान्वयन के लिए सौंपा जा सकता है । यह कार्य विभागीय स्तर पर ही किया जायेगा न की बिचौलियों या संवेदक (Contractor) के माध्यम से ।

4.3(iii) ऐसे मामलों में योजना की प्राक्कलित राशि सीधे लाईन विभाग को दिया जा सकता है ।

4.4 पंचायत समिति द्वारा उपरोक्त विधि से चयनित योजनाओं की सूचना कार्यक्रम पदाधिकारी को दी जायेगी जो पंचायत समिति द्वारा चयनित एजेंसी को कार्य आवंटित करेंगे ।

(5) जिला परिषद् का दायित्व

5.1 पंचायत समिति एवं पंचायतों द्वारा तैयार वार्षिक कार्य योजना की समीक्षा कर अनुमोदित करते हुये जिला वार्षिक कार्य योजना में शामिल कराना । परंतु जिला परिषद् को ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति द्वारा योजनाओं के निर्धारित प्राथमिकता को बदलने का अधिकार नहीं होगा ।

जिला परिषद् को उन 50 प्रतिशत तक के कार्यो में से भी कुछ कार्यो को सौंपा जा सकता है जिन्हें ग्राम पंयायतें कार्यान्वित् नहीं कर रही है ।

5.2 5.2.(i) जिला परिषद् द्वारा उपर कंडिका 3.7 में दर्शाए गए जो :- एक से अधिक प्रखण्ड को जोड़ता, एक प्रखंड के पंचायत से दूसरे प्रखंड के पंचायत को जोड़ता या एक जिला को दूसरे जिला से जोड़ता। अर्थात् इनमें पईन, जमींदारी तटबंध, नहर एवं 500 से कम आबादी वाले सड़क आदि को लेने, नर्सरी, बीज उत्पादन केन्द्र, वानिकीकरण इत्यादि योजनाओं को प्राथमिकता दी जा सकती है।

5.2.(ii) लाईन विभाग को भी उनकी वैसी योजनाएँ जो उपर कंडिका 3.7 के अनुरूप हो, उन्हें निहित प्रक्रिया अपनाते हुए अनुमोदन प्राप्त कर उस विभाग को कार्यान्वयन के लिए सौंपा जा सकता है । यह कार्य विभागीय स्तर पर ही किया जायेगा न की बिचौलियों या संवेदक (Contractor) के माध्यम से ।

5.2.(iii) ऐसे मामलों में योजना की प्राक्कलित राशि सीधे लाईन विभाग को दिया जा सकता है ।

5.3 5.3(i) **क्रियान्वयन निकाय:**

पंचायतों के अतिरिक्त संबंधित विभागों (लाईन डिपार्टमेंट्स), स्वैच्छिक संगठनों (एनजीओ), केन्द्रीय एवं राज्य स्तरीय सार्वजनिक उपक्रमों तथा स्वयं सहायता संगठनों (एसएचजी) को भी क्रियान्वयन अभिकर्त्ताओं के रूप में चिह्नित किया जा सकता है ।

5.4 जिला परिषद् को यह अधिकार होगा कि वह ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति से प्राप्त अनुपयोगी योजनाओं को ग्राम पंचायत/पंचायत समिति को पूर्नविचार हेतु वापस भेज सकेंगे ।

(6) कार्यक्रम पदाधिकारी का दायित्व

6.1 आवेदकों के निबंधन से संबंधित कार्यों का समन्वय एवं पर्यवेक्षण करना ।

6.2 पंचायतों से प्राप्त कार्य योजनाओं को समेकित कर प्रखंड कार्य योजना तैयार करना।

6.3 जिला परिषद तथा पंचायत समिति द्वारा चयनित एजेंसी को जिला परिषद एवं पंचायत समिति द्वारा चयनित योजनाओं के लिए कार्य आवंटित करना।

6.4 ग्राम पंचायत तथा अन्य कार्यकारी एजेन्सी को मस्टर रौल निर्गत करना।

6.5 पंचायत समिति को विमुक्त राशि का लेखा संधारण करना ।

6.6 अनियोजन भत्ता की स्वीकृति एवं भुगतान ।

6.7 समय पर निर्धारित मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करना।

6.8 पंचायतों में ली जाने वाली योजनाओं के कार्यान्वयन की सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) ग्राम सभा द्वारा सुनिश्चित करना ।

6.9 प्राप्त शिकायतों की जांच कर निष्पादन करना।

(7) जिला कार्यक्रम समन्वयक का दायित्व

7.1 प्रखंडों से प्राप्त कार्य योजनाओं को समेकित कर जिला कार्य योजना तैयार करना एवं जिला परिषद् से 15 दिनों के अन्दर पारित कराना ।

7.2 सक्षम प्राधिकार के तहत योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति देना ।

7.3 कार्यक्रम पदाधिकारियों के कार्यो की समीक्षा, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण ।

7.4 योजनाओं का निरीक्षण ।

7.5 प्राप्त शिकायतों की जांच कर उसका निस्तार करना।

7.6 प्रत्येक वर्ष दिसम्बर महीने में आगामी वित्तीय वर्ष में कितने अकुशल मजदूर जिले में काम की मांग करेंगे उसका आकलन कर श्रम बजट तैयार कर जिला परिषद् से पारित कराना ।

7.7 यदि किसी ऐजेन्सी अथवा ग्राम पंचायत अथवा पंचायत समिति अथवा जिला परिषद द्वारा नियोजन मांगने के 15 दिनों के अन्दर बिना कारण के किसी व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया हो और ऐसे व्यक्ति को अनियोजन भत्ता का भुगतान करना पड़ा हो तो जिला कार्यक्रम समन्वयक इसके लिए दायित्व का निर्धारण करेगा तथा दोषी व्यक्ति से अनियोजन भत्ता के रूप में भुगतान की गई राशि की वसूली हेतु कार्रवाई करेगा ।

7.8 जिला स्तर पर अनुमोदित वार्षिक, योजना में से कम से कम 50 प्रतिशत लागत के काम को ग्राम पंचायत द्वारा किया जाना है एवं शेष निधि का कार्य पंचायत समिति स्तर पर या जिला परिषद् के स्तर पर लिया जा सकता है । इस काम को लाईन डिपार्टमेंट से कराने का अधिकार भी उन्हीं का है ।

(8) बिहार राज्य रोजगार गारंटी परिषद् –

8.1 बिहार रोजगार गारंटी परिषद् का गठन परिशिष्ट–"ग" के अनुरूप किया जाएगा ।

8.2 8.2 यह परिषद् निम्न कार्य करेगा :-

8.2(क) अधिनियम के तहत योजना से संबंधित सभी विषय के क्रियान्वयन के बारे में सलाह देना।

8.2(ख) कौन-कौन से कार्य को प्राथमिकता देना है, उसका निर्धारण करना है ।

8.2(ग) योजना का अनुश्रवण एवं सुधार हेतु समस-समय पर सुझाव देना एवं इसे बेहतर बनाना ।

8.2(घ) इस अधिनियम के तहत योजना का अनुश्रवण करना एवं सही ढंग से क्रियान्वित करने हेतु केन्द्रीय परिषद के साथ समन्वय करना ।

8.2(ड.) राज्य. सरकार द्वारा राज्य विधान सभा/परिषद् समक्ष वार्षिक योजना बनाकर रखना ।

8.2(च) अन्य कोई कार्य जा समय समय पर केन्द्रीय परिषद या राज्य सरकार देगा उस कार्य को भी निपटाना ।

8.2(छ) योजना का मूल्यांकन करना।

(9) <u>योजना का कार्यान्वयन –</u>

9.1 योजना का कार्यान्वयन त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था के माध्यम से कराया जायेगा ।

9.2 एक लाख रूपये तक की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये ग्राम पंचायत प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति देने हेतु स्वयं सक्षम होगा । एक लाख से अधिक की योजनाओं के लिये राज्य में पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी । ग्राम पंचायत का यह दायित्व होगा कि वे अपने स्तर से योजना का प्राक्कलन तैयार करायेंगे ।

9.3 पंचायत समिति एवं जिला परिषद् द्वारा ली जाने वाली योजनाओं में राज्य में पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी ।

9.4 ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद कार्य विभिन्न विभागों/भारत एवं राज्य सरकार के निकाय/सहकारी सहयोग समिति/प्रतिष्ठित गैर सरकारी संस्थान/एस०जी०एस० वाई० के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूह को भी योजनाओं का कार्यान्वयन हेतु कार्यकारी एजेन्सी के रूप में चयन कर सकता है ।

9.5 जिला परिषद् एवं पंचायत समिति के द्वारा जो भी योजना कार्यान्वित करायी जायेगी, उसकी सूचना मजदूरों को प्राप्त हो इसके लिये कार्यक्रम पदाधिकारी एवं ग्राम पंचायत विधिवत् प्रचार-प्रसार करेंगे ।

9.6 किसी भी स्तर की कार्यकारी एजेन्सी अगर 15 दिनों के अन्दर कार्य मुहैय्या नहीं करा सकती है तो इसकी सूचना कारण सहित कार्यक्रम पदाधिकारी को देंगे ।

9.7 यदि किसी ग्राम पंचायत में रोजगार का अवसर उपलब्ध न हो तो इच्छुक व्यक्ति को सन्निकट पंचायत में प्रखण्ड के अंतर्गत ही रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है । कार्य स्थल की दूरी 5 कि०मी० से अधिक होने पर ऐसे मजदूर को मजदूरी का 10 प्रतिशत परिवहन भत्ता के रूप में देय होगा ।

9.8 बिहार ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-2005 के अंतर्गत ली गई योजनाओं के कार्यान्वयन में मजदूर के बदले मशीन का उपयोग किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा, न ही कार्यान्वयन में संवेदक, बिचौलियों आदि की कोई भूमिका होगी ।यदि कहीं ऐसा पाया जाता है तो जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा दोषी कार्यकारी एजेन्सी के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

9.9 मजदूरी का भुगतान पोस्ट ऑफिस या बैंक (वाणिज्य बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) के माध्यम से करना श्रेयस्कर होगा ।

(10) कार्यों की मापी –

10.1 कार्य मापी के लिये मापदण्ड से संबंधित निदेश परिशिष्ट "घ" में देखा जा सकता है।

10.2 जिला कार्यक्रम समन्वयक/अपर कार्यक्रम समन्वयक क्रमित मस्टर रोल कार्यक्रम पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे ।

10.3 कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यों के संबंध में योजनावार क्रमित मस्टर रॉल सत्यापित करते हुए ग्राम पंचायत तथा ग्राम पंचायत से भिन्न एजेन्सी को उपलब्ध कराया जाय । परिशिष्ट 'ङ' ।

10.4 ग्राम पंचायत भुगतीत मस्टर रौल अपने अभिलेख में रखेंगे तथा ग्राम पंचायत से भिन्न कार्यकारी एजेन्सी भुगतीत मस्टर रौल ग्राम पंचायत को समर्पित करेंगे । ग्राम पंचायत तथा अन्य कार्यकारी एजेन्सी भुगतित मस्टर रौल की एक प्रति कार्यक्रम पदाधिकारी को भी उपलब्ध करायेंगे ।

(11) कार्य स्थल पर मजदूरों के लिये सुविधा –

11.1 कार्यस्थल पर मजदूरों को प्राथमिक उपचार, पीने का पानी एवं छः साल से कम उम्र के पांच से अधिक बच्चे होने पर क्रेश (Creche) की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी । कार्य स्थल पर इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिये एक महिला अकुशल मजदूर को लगाया जा सकता है जिसे अन्य मजदूरों की तरह दैनिक मजदूरी भुगतान किया जायेगा । कार्यस्थल पर इन सुविधाओं के लिये व्यय का भार भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा ।

(12) निधि की व्यवस्था –

12.1 भारत सरकार द्वारा अकुशल मजदूरों की सम्पूर्ण मजदूरी का भार वहन किया जायेगा। साथ ही, प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम पदाधिकारी, कंप्यूटर सहायक, लेखा सहायक एवं तकनीकी सहायक तथा पंचायत स्तर पर प्रत्येक पंचायत के लिए पंचायत सहायक एवं कई पंचायतों के लिए तकनीकी पदाधिकारी पर होने वाले सम्पूर्ण व्यय का भार भी भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा ।

12.2 योजनाओं के प्रयोजनार्थ सामग्रियों पर व्यय का तथा कुशल एवं अर्द्ध-कुशल मजदूरों की मजदूरी का 75 प्रतिशत भार भारत सरकार एवं 25 प्रतिशत भार राज्य सरकार वहन करेगी ।

12.3 राज्य सरकार द्वारा अनियोजन भत्ता पर होने वाला व्यय का भार वहन किया जायेगा ।

12.4 बिहार रोजगार गारंटी परिषद् पर होने वाला प्रशासनिक व्यय का भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा ।

12.5 इस योजना के लिये जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में अलग खाता खोला जायेगा । पंचायत स्तर पर खाता का संचालन मुखिया अथवा जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी एवं

पंचायत सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से, पंचायत समिति स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी के एकल हस्ताक्षर /अनुबंध पर नियुक्त कार्यक्रम पदाधिकारी एवं प्राधिकृत पदाधिकारी/लेखापाल (बी०आर०ई०जी०एस०) के संयुक्त हस्ताक्षर एवं जिला परिषद् के स्तर पर जिला कार्यक्रम समन्वयक के एकल हस्ताक्षर से संचालित होगा ।

12.6 राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम के लिये बिहार राज्य रोजगार गारंटी कोष स्थापित किया जायेगा ।

(13) <u>अनियोजन भत्ता का दर</u> –

13.1 किसी भी परिवार के निबंधित अकुशल मजदूर सदस्य से कार्य हेतु आवेदन प्राप्त होने के 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर उन्हें कार्य दिया जाना है । 15 दिनों तक कार्य नहीं देने पर ऐसे सदस्यों को निम्नांकित दर से अनियोजन भत्ता देय होगा :-

13.1.1 वित्तीय वर्ष के प्रथम 30 दिनों के लिए 17/- रूपये प्रतिदिन की दर से ।

13.1.2 वित्तीय वर्ष के शेष अवधि के लिए प्रत्येक दिन के लिए 35/- रूपये की दर से।

13.1.3 परन्तु कार्यादेश देने के बाद कार्य पर उपस्थित न होने अथवा परिवार को 100 दिवस रोजगार प्राप्त हो जाने की स्थिति में अनियोजन भत्ते की पात्रता नहीं होगी। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष अवधि में भी अनियोजन भत्ता की पात्रता नहीं होगी।

13.1.4 एक वित्तीय वर्ष में कोई कार्य मुहैया नहीं किए जाने की स्थिति में अनियोजन भत्ता न्यूनतम मजदूरी के दर पर 100 दिनों की कुल मजदूरी के बराबर होगी। अर्थात वर्त्तमान न्यूनतम मजदूरी 68 रू0 की दर से एक परिवार को नियोजन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एक वित्तीय वर्ष में 6800/- रु0 भुगतेय होगा ।

13.1.5 राज्य सरकार जैसे-जैसे न्यूनतम मजदूरी की दर में संशोधन करेगी कण्डिका 13.1.4 में दरों में भी तद्नुसार संशोधन किया जायेगा । मगर इस योजना के लिए किसी भी स्थिति में न्यूनतम मजदूरी 60/- रूपये से कम नहीं होगी ।

(14) अंकेक्षण–

14.1 जिला स्तर पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा नियुक्त चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट के द्वारा अनिवार्य रूप से अंकेक्षण कराया जायेगा।

14.2 इस योजना का अंकेक्षण महालेखाकार द्वारा भी किया जायेगा । चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट के अंकेक्षण प्रतिवेदन को महालेखाकार द्वारा प्रतिनियुक्त अंकेक्षण दल को उपलब्ध कराया जायेगा ।

14.3 एक वित्तीय वर्ष का अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र अगले वित्तीय वर्ष के सितम्बर माह तक अनिवार्य रूप से भारत सरकार एवं राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा । अंकेक्षण आपत्तियों का निराकरण करना जिला समन्वयक का दायित्व होगा ।

(15) दिशा-निर्देशों के संशोधन के संबंध में -

योजनाओं के कार्यान्वयन में कठिनाईयों को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर इन दिशा-निर्देशों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अनुकूल प्रक्रियात्मक स्वरूप में आवश्यक संशोधन करने का अधिकार ग्रामीण विकास विभाग को रहेगा ।

(16) विविध -

राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह समय-समय पर बिहार ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए तथा क्रियान्वयन में उत्पन्न होनेवाली कठिनाईयों को दूर करने के लिए दिशा निर्देश निर्गत कर सके ।

(17) परिशिष्ट एवं प्रपत्र की विवरणी -

परिशिष्ट - क, ख, ग, घ, एवं ड. । प्रपत्र - ए-1 से बी-14 ।

परिशिष्ट – 'क'

(कंडिका- 3.1)

(1) रोजगार पाने के इच्छुक परिवारों को अनिवार्य रूप से ग्राम पंचायत में निबंधन कराना होगा ।

(2) निबंधन हेतु आवेदन फार्म एन०ई०जी०-001 में समर्पित किया जायेगा । आवेदन पत्र सादे कागज पर भी फार्म एन0ई0जी0-001 में मांगी गयी सूचना अंकित करते हुये दिया जा सकता है ।

(3) आवेदन पत्र की जाँच ग्राम पंचायत द्वारा की जायेगी । जाँच के समय आवेदक के ग्राम पंचायत निवासी होने, परिवार के अस्तित्व में होने तथा आवेदक का उस परिवार के वयस्क सदस्य एवं कार्य के इच्छुक होने की जाँच की जायेगी । जाँचोपरान्त आवेदक का निबंधन किया जायेगा ।

(4) निबंधन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच तुरन्त की जानी चाहिए और किसी भी परिस्थिति में 15 दिनों के अन्दर सत्यापन कार्य पूरा करा लिया जायेगा ।

(5) आवेदन पत्र के सत्यापन के बाद आवेदन पत्र की प्रविष्टि निबंधन पंजी फॉर्म एन.ई.जी.-007 में किया जायेगा ।

(6) प्रत्येक निबंधित परिवारों को एक निबंधन संख्या प्रदत की जायेगी । इसके लिए सर्वप्रथम राज्य कोड, फिर जिला को आवंटित कोड (भारत सरकार द्वारा डी०आर०डी०ए० को आवंटित कोड) फिर दो अंक का प्रखण्ड कोड (इसके लिये प्रखंडों को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में सजाकर क्रमांक दिया जाय) फिर तीन अंको का पंचायत कोड (इसके लिए पंचायतों को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में सजाकर क्रमांक दिया जाय) फिर परिवार के लिए बढ़ते क्रम में चार अंकों का कोड । उदाहरणस्वरूप अररिया जिला के लिये 01(जिला कोड). 03(प्रखंड कोड), 005(पंचायत का कोड), 0135(परिवार को आवंटित कोड) होगा ।

(7) निबंधित परिवारों की सूची एन.ई.जी.010 के आधार पर कार्यक्रम पदाधिकारी को भेजी जायेगी ।

(8) गलत निबंधन को रद्द किया जा सकेगा ।

(9) निबंधन के लिए आवेदन पत्र ग्राम पंचायत कार्यालय में पूरे साल तथा सभी कार्य दिवस में कार्यालय अवधि में प्राप्त किया जायेगा ।

परिशिष्ट - 'ख'

(कंडिका- 3.2)

1. ग्राम पंचायत द्वारा प्रत्येक निबंधित परिवार को फार्म-एन०ई०जी० 002A एवं 002B में नियोजन कार्ड निर्गत किया जायेगा ।

2. नियोजन कार्ड पर परिवार के प्रत्येक वयस्क व्यक्ति का संयुक्त फोटोग्राफ चिपकाया जायेगा । फोटो का मूल्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा ।

3. नियोजन कार्ड आवेदन पत्र के सत्यापन के तुरंत बाद तथा किसी भी परिस्थिति में निबंधन के 15 दिनों के अन्दर निर्गत कर दिया जायेगा ।

4. नियोजन कार्ड दो प्रतियों में तैयार किया जायेगा और एक प्रति कार्यालय अभिलेख के रूप में रखी जायेगी । नियोजन कार्ड की प्रविष्टि निबंधन पंजी फॉर्म एन.ई.जी. 009 में की जायेगी ।

5. नियोजन कार्ड पाँच वर्षो के लिए वैध होगा । नियोजन कार्ड को नवीकृत किया जायेगा ।

6. नियोजन कार्ड में कार्य करने वाले योग्य व्यक्तियों के नाम को जोड़ा/हटाया जा सकेगा ।

7. परिवार द्वारा मृत्यु/स्थाई स्थान परिवर्तन की सूचना तुरंत ग्राम पंचायत को दी जायेगी।

8. परिवार को नये नाम जोड़ने के लिए आवेदन देने का अधिकार होगा ।

9. निबंधन पंजी में जोड़े गये/हटाये गये नामों की सूची ग्राम सभा में पढ़ी जायेगी ।

10. प्रत्येक वर्ष अक्टुबर माह में ग्राम पंचायत में जोड़े गये/हटाये गयें नामों की सूची ग्राम पंचायत द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी को भेजी जायेगी ।

11. नियोजन कार्ड निर्गत नहीं करने के संबंध में कोई भी शिकायत कार्यक्रम पदाधिकारी को की जा सकेगी । कार्यक्रम पदाधिकारी के विरुद्ध शिकायत जिला कार्यक्रम समन्वयक से की जा सकेगी । शिकायत का निस्तार यथा संभव 15 दिनों के अन्दर कर दिया जायेगा ।

परिशिष्ट – 'ग'

(कंडिका– 8.1)

बिहार ग्रामीण रोजगार गारन्टी परिषद्

अध्यक्ष – मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना

उपाध्यक्ष – विकास आयुक्त, बिहार, पटना

समन्वयक – सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना

सरकारी सदस्य–1. सचिव, ग्रा0अभि0संगठन एवं पंचायती राज विभाग

2. सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना

3. सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

4. सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार

5. सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार

6. सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार

7. मनोनीत प्रमण्डलीय आयुक्त ।

गैर सरकारी सदस्य (अधिकतम –15)	1. अध्यक्ष, जिला परिषद्	– 8	(तीन महिला, एक अनूसुचित जाति, एक अ०जनजाति एवं एक पिछड़ा वर्ग)
	2. प्रमुख, पंचायत समिति	– 3	(एक अल्पसंख्यक एवं एक महिला)
	3. मजदूर संगठन	– 2	(एक सदस्य मुसहर संगठन का और एक महिला)
	4. स्वयंसेवी संस्था	– 2	

परिशिष्ट – 'घ'

(कंडिका– 10.1)

(1) प्रत्येक सप्ताह में कार्यो की मापी कर मजदूरी का भुगतान किया जायेगा एवं मस्टर रोल संधारित किया जायेगा । मस्टर रोल प्रपत्र परिशिष्ट 'च' पर द्रष्टव्य ।

(2) ग्राम पंचायत को तथा प्रत्येक कार्यकारी ऐजेन्सी को प्रत्येक कार्य स्थल के लिए कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा क्रमित मस्टर रॉल, उपलब्ध कराया जायेगा । मस्टर रॉल पंजी फॉर्म एन०ई०जी०-004, 005 तथा 006 में संधारित किया जायेगा ।

(3) कुशल, अर्द्धकुशल और अकुशल मजदूरों को मजदूरी का भुगतान श्रम एवं नियोजन विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार किया जायेगा । श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की वर्त्तमान लागू अधिसूचना संख्या-5/एम0 डब्लू0-4030/03, दिनांक 15-5-2004 की प्रति परिशिष्ट 'च' पर द्रष्टव्य । इस अधिसूचना के कमांक-48 पर मजदूरी तथा मिट्टी काटने का मापदण्ड अंकित है । श्रम विभाग द्वारा नई दरें अधिसूचित होने पर अद्यतन दरें लागू होंगी ।

परिशिष्ट-ड.

बिहार सरकार

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 15-5-2004

एम0ओ0 दिनांक केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना संख्या एल0 डब्लू0 आई0 (1)7(बी) 1159, दिनांक 7 अगस्त, 1958 के साथ वाचित मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 (1), 1948 की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा उक्त अधिनियम की धारा - 5 की उपधारा (1) के खंड के (बी) के अधीन अधिसूचित प्रस्ताव पर प्राप्त सभी अभिवेदनों पर विचार करने तथा न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद से परामर्श प्राप्त करने के पश्चात् बिहार राज्यपाल बिहार राज्य में 'सड़कों के निर्माण या अनुरक्षण अथवा निर्माण कार्यों' के प्रयोजन में नियोजित अनुच्छेद कोटियों से कर्मचारियों के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एस0ओ0 37 दिनांक 5 जनवरी, 1996 में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरों से पुनरीक्षित करते हैं, जैसा कि अनुबद्ध अनुसूची के स्तम्भ-3 में विनिर्दिष्ट है, जो सम्पूर्ण बिहार राज्य में उक्त नियोजन में नियोजित ऐसी विभिन्न कोटियों के कर्मचारियों को भुगतेय होगी ।

2.इस प्रकार पुनरीक्षित मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अधिनियम की धारा-4 की उप-धारा (i) के खंड (iii) के अन्तर्गत होगी ।

3.ये दरें अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी ।

अनुसूची

क्रम सं0	कर्मचारियों की श्रेणी	मजदूरों की न्यूनतम दरें प्रतिदिन
1	2	3
		रु0
1.	अकुशल मजदूर	68.00
2.	झाड़ूकस	68.00
3.	मिस्त्री	68.00
4.	प्रक्षालक	68.00
5.	मददगार	68.00
6.	खलासी/ कड़ीपाल	68.00
7.	निशान नवीस	87.00
8.	(i) यंत्र योजक वर्ग-1	94.00
	(ii) यंत्र योजक वर्ग-2	82.00
9.	खरादिया	82.00
10.	(i) यांत्रिक वर्ग -1	106.00
	(ii) यांत्रिक वर्ग -2	98.00

11.	(i) बिजली मिस्त्री वर्ग-1	88.00
	(ii) बिजली मिस्त्री वर्ग-2	82.00
12.	लाईनमैन/ वायरमैन (तार मिस्त्री)	79.00
13.	कार्यवेक्षक	98.00
14.	फोरमैन	117.00
15.	(i) झलाईगार वर्ग-1	101.00
	(ii) झलाईगार वर्ग-2	88.00
16.	शेशागार	78.00
17.	बढ़ई	82.00
18.	प्रधान बढ़ई	92.00
19.	चेकर	83.00
20.	हथौड़ा चलानेवाला	72.00
21.	टीनकार	94.00
22.	टीन प्लेट निर्माता	98.00
23.	लोहार	82.00
24.	प्रधान लोहार	92.00
25.	टाईल बिछाने वाला	73.00
26.	अच्छादक	73.00
27.	नलसाज	88.00
28.	श्रेणी निर्धारक	83.00
29.	सड़क बंधक	78.00
30.	राजमिस्त्री	82.00
31.	प्रधान राजमिस्त्री	92.00
32.	पत्थर बिछानेवाला	82.0033
	अलकतरा कर्मा	72.00
34.	फायरमैन	73.00
35.	सानगार	82.00
36.	गैस कटर	87.00
37.	सज्जक	83.00
38.	सारंग	98.00

39.	चीवर-कम-रिमेटर	87.00
40.	ट्रैक्टर प्रचालक	98.00
41.	(i) डोजर प्रचालक वर्ग-1	117.00
	(ii) डोजर प्रचालक वर्ग-2	103.00
42.	डम्पर प्रचालक	99.00
43.	कम्पित प्रचालक	77.00
44.	(i) पम्प चालक वर्ग-1	88.00
	(ii) पम्प चालक वर्ग-2	82.00
45.	(i) ड्रैग लाईन प्रचालक वर्ग-1	117.00
	(ii) ड्रैग लाईन प्रचालक वर्ग-2	103.00
46.	(i) कंक्रीट मिश्रक प्रचालक वर्ग-1	88.00
	(ii) कंक्रीट मिश्रक प्रचालक वर्ग-2	82.00
47.	(i) संपीड़ित प्रचालक वर्ग-1	88.00
	(ii) संपीड़ित प्रचालक वर्ग-2	82.00
48.	मिट्टी काटने वाला -	
	(1) प्रति 110 घनफीट नर्म मिट्टी के लिये	68.00
	(2) प्रति 100 घनफीट कड़ी मिट्टी के लिये	68.00
	(3) प्रति 90 घनफीट अति कड़ी मिट्टी के लिये	68.00
49.	ट्रक चालक	98.00
50.	कार/ जीप चालक	87.00
51.	क्रेन प्रचालक वर्ग-1	117.00
	क्रेन प्रचालक वर्ग-2	103.00
52.	वींच प्रचालक	88.00
53.	सड़क रोलर चालक	119.00
54.	उड़ानेवाला	114.00
55.	चित्रकार	88.00
56.	पालिसर	73.00
57.	चपरासी/ दरबान/ चौकीदार	72.00
58.	लिपिक/ टंकक/ टंकक लिपिक	81.00
59.	समयपाल	81.00

60.	भंडार सहायक/ भंडारपाल	89.00
61.	भंडारपाल	84.00
62.	सामग्री चेंजर	84.00
63.	मेट एवं सड़क मेट	73.00
64.	मुंशी	77.00
65.	निर्माण निरीक्षक	78.00
66.	अमीन	81.00
67.	सर्वेक्षक	83.00
68.	पर्यवेक्षक (डिप्लोमाधारी)	111.00
69.	पर्यवेक्षक (गैर डिप्लोमाधारी)	82.00
70.	अर्द्धकुशल मजदूरों की अन्य श्रेणी जिनका उल्लेख ऊपर नहीं है	70.00
71.	कुशल मजदूरों की अन्य श्रेणी, जिनका उल्लेख ऊपर नहीं है	81.00

टिप्पणी :-

(क) न्यूनतम मजदूरी की उपर्युक्त दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960-100) 2414 जो वर्ष 2003 के प्रथम अर्द्धांश (जनवरी-जून) का औसत है, पर आधारित है ।

(ख) अनुसूची में दी गयी दैनिक मजदूरी की दरों का मासिक मजदूरी की दरों में दैनिक दर की 26 गुणा करके किया जायेगा ।

(ग) साप्ताहिक विश्राम के दिन काम करने वाला कर्मचारी बिहार न्यूनतम मजदूरी नियमावली के नियम 25 में विहित दर से समयोपरि काम का भुगतान पाने का हकदार होगा ।

(घ) पुरुष और स्त्री कामगार एक ही काम या उसी प्रकार के काम के लिये समान दर पर मजदूरी पाने के हकदार होंगे ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-
(हीरा लाल तांती)
सरकार के अपर सचिव ।